डिक्री बमुकदमें इन्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ
बईजलास राकेश कुमार न्योल आरएएस
चतराराम पुत्र लालूराम जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर बनाम जीवाराम वगैरहा
दावा बाबत चिरनिषेधाज्ञा
मुकदमा नम्बर 103/2013
निर्णय दिनांक 25.10.2019.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी वादी की ओर से श्री साजिद खान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से श्री महेन्द्रसिंह मान अधिवक्ता, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि ग्राम लिखमीसर दिखणादा में वादी के खेत खसरा नम्बर 438 तादादी 14.71 हैक्टयर वं प्रतिवादी के खेत खसरा नम्बर 439 तादादी 9.02 हैक्टयर के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें । न ही एक दूसरे के खेत में प्रवेश करें । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादी व प्रतिवादी से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर खेतों का सीमाज्ञान करवावें । यदि वादी प्रतिवादी चाहते हो तो उनके व्यय पर पत्थर गढी भी करवा दें ।

लीज....0.....मुबलिग.....0.....बाबत.....0.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी.....तारीख वसूलयाबी.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 23 माह अक्टूबर सन् 2019 को जारी किया गया ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	0	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.....रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	0
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		
योग	0	योग	0

उपखण्ड अधिकारी,

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्री डूँगरगढ

मुकदमा नम्बर 103/2013 निर्णय दिनांक 25.10.2019

चतराराम पुत्र लालूराम जाट निवासी लिखमीसर दिखणादा तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर

——————वादी

बनाम

1जीवणराम पुत्र मघाराम 2 गोपाल 3 श्रवणराम 4 मोटाराम पुत्रगण जीवणराम निवासीगण लिखमीसर दिखणादा तहसील श्री डूँगरगढ जिला बीकानेर 5 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा शाखा सूडसर तहसील श्री डूँगरगढ 6 स्टेट जरिये तहसीलदार, श्री डूँगरगढ

——————प्रतिवादीगण

उपस्थिति–

1. श्री साजिद खान अधिवक्ता वादी की तरफ से ।
2. श्री महेन्द्रसिंह मान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से ।
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह वाद चतराराम ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया कि वादी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 438 तादादी 14.71 हैक्टयर वाके रोही लिखमीसर दिखणादा में स्थित है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ग्राम लिखमीसर दिखणादा के रहने वाले है । वादी के खेत के चिपते ही उतरी तरफ प्रतिवादी संख्या 1 जीणराम की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 439 तादादी 9.02 हैक्टयर स्थित है । वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के खेत के बीच पुख्ता व पुरानी सींव बनी हुई है । वादी व प्रतिवादीगा के खेत के मध्य उतरी सींव पर मटिटयों के कातले रोपकर लोहे के कान्टेदार तार लगाकर सीमा कायम की हुई है । सींव पर भींटकों से बाड की हुई है । उक्त उतरी सींव के मध्य टाली के बडे बडे पेड भी लगे हुए है । प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र है । उक्त सभी प्रतिवादीगण वादी से रंजिश व दुर्भावना रखते है तथा वादी के खेत की उतरी सींव को जबरदस्ती नाजायज रूप से काटने व खुर्द करने की कोशिश में लगे हुए है तथा सींव को खुर्द बुर्द करके वादी के खेत की तरफ बढकर वादी के खेत की भूमि अपने खेत में मिलाने की कोशिश में है तथा सींव को हटाकर खेत के अन्दर से जबरदस्ती नाजायज रूप से रास्ता निकालने की भी कोशिश में है । वादी ने अपने खेत में दो कृषि टयूब वैल बना रखे है, विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा मौके पर चालू है । वादी ने अपने खेत में ढाणी बना रखी है तथा खेत में ट्रेक्टर से तोई लगाकर मूंगफली की बीजाई शुरू कर रखी है । वादी ढाणी में सपरिवार रहता है तथा खेत में अपने धन पशु भी रखता है । दिनांक 22.5.2013 को सायं 5.00 बजे के लगभग प्रतिवादीगण हाथें में कस्सी, फावडा गण्डासी, जेई, चौसांगी, प्लास आदि देकर वादी के खेत की उतरी सींव पर आये तथा वादी को धमकी दी कि हम तुम्हारे खेत की उतरी सींव को काटकर नष्ट कर देंगे व सींव को जबररन खुर्द बुर्द करके तुम्हारे खेत की भूमि को जबरन हमारे खेत में मिला लेंगे तथा तुम्हारे खेत में से जबरन रास्ता भी कायम कर लेंगे, हमें कोई रोकेगा

तो उसे जान से मार देंगे । वादी ने प्रतिवादीगण से ऐसा नहीं करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने वादी की बात को मानने से साफ इंकार कर दिया । ऐसी स्थिति में वादी के पास प्रतिवादीगणों के विरूद्ध चिरनिषेधाज्ञा का दावा लाने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा है । प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उसके खेत की उतरी सींव को जबरन नष्ट करने व खुर्द बुर्द कर जबरन रास्ता निकालने की धमकियां दी है । प्रतिवादीगण के गलत कार्यो को रूकवाया जाना आवश्यक हो गया है । यहीं दावा का हेतु है । दावा का आधार वादी वादगत खेत का खातेदार होने से प्राप्त है । अतः वाद पेश कर निवेदन किया है प्रतिवादीगण को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावे कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 438 तादादी 14.71 हैक्टयर वाके रोही लिखमीसर दिखणादा तहसील श्री डूँगरगढ की उतरी सींव को प्रतिवादीगण किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द नहीं करें, नष्ट नहीं करें, ना ही उतरी सींव पर लगी तार बाड पट्टियां आदि को हटावे व ना ही किसी पेड आदि को काटे ना ही किसी प्रकार सींव काटकर रास्ता कायम करें ना ही सींव काटकर वादी के खेत की तरफ बढकर कोई कब्जा करें नाही वादी के कब्जा काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करें ना ही ऐसा कोई कृत्य या अपकृत्य करें जिससे वादी के वैध अधिकारों पर विपरीत असर पडता हों ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 ने जबाब पेश कर निवेदन किया कि मुझ प्रतिवादी ने दिनांक 7.5.2013 को तहसीलदार श्री डूँगरगढ केसमक्ष खेत मैमाईश शुल्क हेतु चालान जमा करवाया तो वादी को इस बात की सूचना होते ही व खेत नपवाने में बाधा उत्पन्न करने हेतु गलत रूप से हस्तगत दावा कर दिया । मैं प्रतिवादी तो खेत की पैमाईश करवाना चाहता हूं ताकि किसी प्रकार का कोई वाद विवाद नहीं करें परन्तु वादी के मन में बेठमानी व खोट आ गई व गलत आधार पर दावा व अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर गलत रूप से वादगत खेतों के संबंध में स्थगन प्राप्त कर लिया जिसके कारण पटवारी हल्का द्वारा वादगत खेतों का सीमा ज्ञान नहीं करसका । वादी जानबूकर मौका की सही ववास्तविक स्थिति लाने में सहयोग नहीं प्रदान कर बाधा व अडचने पैदा कर रहा है । प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 मजदूरी के सिलसिले में प्रायः बाहर रहते है । प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 वादगत खेतों के खातेदार भी नहीं है जिन्हें हस्तगत दावा में प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 को वादी ने गलत रूप से पक्षकार बनाया है । वादी का दावा पक्षकारों के कुसंयोजन से ग्रसित होने के कारण चलने काबिल नहीं व खारिज किये जाने योग्य है । मैं प्रतिवादी वादगत खेतों कासीमाज्ञान करवाना चाहता हूं परन्तु वादी मौका की सही व वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आने नहीं दे रहा है । मौका कीवास्तविक स्थिति न्यायालय श्रीमान के समक्ष आनी अत्यंत आवश्यक है, मौका की वास्तविक स्थिति न्यायालय के समक्ष आने से ही मामले का सही स ऋजु निर्णय हो पायेगा इसलिए न्यायहित में मौका की वास्तविक स्थित मंगवाई जावें ।

बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

निर्णय

ग्राम लिखमीसर दिखणादा में वादी के खेत खसरा नम्बर 438 तादादी 14.71 हैक्टयर वं प्रतिवादी के खेत खसरा नम्बर 439 तादादी 9.02 हैक्टयर के खातेदार वादी एवं प्रतिवादी को जरिये चिरनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें । न ही एक दूसरे के खेत में प्रवेश करें । तहसीलदार, श्री डूँगरगढ को निर्देशित किया जाता है कि वादी व प्रतिवादी से निर्धारित शुल्क प्राप्त कर खेतों का सीमाज्ञान करवावें । यदि वादी प्रतिवादी चाहते हो तो उनके व्यय पर पत्थर गढी भी करव दें ।

(राकेश कुमार न्योल)
उपखण्ड अधिकारी,
श्री डूँगरगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Nyol
Date: 2019.11.14 17:49:30 IST
Reason: SelfAttested
Location: